कार्यालय प्राचार्य
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट
एयरपोर्ट रोड, महाराज पुरा, ग्वालियर–474005

टेण्ड़र नियम (श्रेणी):

1. मसाहारी निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 05.07.2024 दोपहर 4.00 वजे एवं निविदा खोलने की दिनांक 15.07.2024 समय 3.30 वजे तक ।
2. सब्जी / फल / अंग्रेजी सब्जी निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 05.07.2024 दोपहर 4.00 वजे एवं निविदा खोलने की दिनांक 15.07.2024 समय 2.30 वजे तक ।
3. डेयरी सामग्री निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 05.07.2024 दोपहर 4.00 वजे एवं निविदा खोलने की दिनांक 15.07.2024 समय 4.30 वजे तक ।
4. पूर्तिकर्ता एक या सभी श्रेणियों के लिये निविदायें अलग अलग प्रस्तुत कर सकता है।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार विना किसी कारण वतायें इस संस्था प्राचार्य को रहेगा ।
6. संस्था के जारी किये गये निर्धारित प्रारूप में निविदायें प्रस्तुत करना हैं अन्यथा निविदा निरस्त समझी जायेगी।

निविदाओं की शर्ते निम्न प्रकार है:–

1. सामग्री शुद्ध, ताजी, स्वच्छ व साफ की हुई होना चाहिये।
2. सामग्री संस्था में पहुचा कर देनी होगी । इसके लिये कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं दिया जायेगा।
3. निविदा में स्वीकृत दरें दिनांक 20.07..2024 से दिनांक 30.06.2025 तक मान्य रहेगी ।
4. सामग्री आवश्यकतानुसार समय समय पर क्रय की जायेगी। जिस हेतु संस्था द्वारा प्रदाय आदेश जारी किया जायेगा। यदि सामग्री मांगे गये समय पर प्रदाय नहीं होती है तो वाजार से क्रय की जायेगी। जिसका अतिरिक्त व्यय (अन्तर) टेक्सी भाड़े सहित प्रदायकर्ता के भुगतान विल से काट लिया जायेगा।
5. सामग्री का भुगतान शुद्ध वजन पर किया जायेगा।
6. वारदाना / टीन अथवा किसी भी अन्य सामान में जिसमें सामग्री प्रदाय की गई है, जिसका भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. सामग्री की दरें क्विंटल / किलो / दर्जन / लीटर में अंकित करें ।
8. सामग्री का भुगतान रेखांकित चैक के द्वारा किया जायेगा।
9. प्रति निविदा के साथ सुरक्षा / जमानत राशि रूपये 20,000.00 (रू बीस हजार मात्र) नगद / ड्राफ्ट जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त समझी जायेगी ।
10. प्रत्येक निविदा श्रेणी के साथ दर्शाई गई धरोहर एवं निविदा राशि रूपये 500.00 (वापिस नही होगी) संस्थान में ऑनलाईन या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करके रसीद निविदा के साथ संलग्न करना होगी । पूर्व में जमा की गई जमानत राशि मान्य नहीं होगी चैक मान्य नहीं किये जायेगे।
11. निविदा जिस लिफाफे में भर कर प्रस्तुत करें उस पर निविदा श्रेणी – (अ / व / स) के लिये लिफाफे के वांई ओर कोने पर लिखा होना चाहिये। तथा निविदाकार का पुराना तथा नया पता भी दर्शाया हुआ होना चाहिये।
12. निविदा में दी जाने वाली दरों में सभी तरह के कर सम्मिलित होगें तथा इस मद में कोई भी दावा पृथक से मान्य नहीं होगा।

13. रोजाना काम में आने वाली वस्तुओं की आपूर्ति मांग कर्ता अधिकारी के द्वारा निर्धारित तरीके से की जायेगी। किसी भी प्रकार उल्लघन अनुवंध को भंग करना माना जायेगा तथा अनुवंध में

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT AIRPORT ROAD GWALIOR

प्रस्तावित हर्जाना लगाया जायेगा। जितने माल की मात्रा की मांग की जायेगी उतना पूरा माल एक मुश्त संस्थान के भण्ड़ार में प्रदाय करना होगा। आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु के वजन में कमी को आपूर्ति न माना जायेगा तथा अनुवंध की शर्तो के अनुसार कार्यावाही की जायेगी।

14 संस्थान के प्राचार्य किसी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने या किसी भी निविदा के सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग को विना कोई कारण वताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

15 शर्तो के साथ प्रस्तुत न की जाने वाली निविदायें निरस्त मानी जायेगी ।

16 समस्त निविदाकार को रूपये 100–00 के स्टाम्प पर अनुवंध के विधिवत पालन के लिये अनुवंध करना होगा/विना अनुवंध किये व जमानत राशि जमा कराये, निविदा–कार संस्थान में माल प्रदाय नहीं कर सकेगा।

17 मांग आदेश के आधार पर आपूर्ति की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिये। घटिया स्तर का माल प्रदाय करने पर संस्थान के अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया माल निविदाकार को स्वंय के खर्चे पर तुरन्त ही वापस लेजाना होगा अन्यथा उक्त निरस्त किये गये माल को संस्थान में से न उठाये जाने हेतु रूपये 50 /–प्रतिदिन भंण्ड़ारण शुल्क वसूल किया जावेगा तथा इस प्रकार वापिस ले जाये गये माल के एवज में वाजार से खरीदे गये माल की दर तथा निविदा की दर के अन्तर में टेक्सी भाड़ा जोड़कर निविदाकार से वसूल किया जावेगा। निश्चित अवधि में आपूर्ति न किये जाने पर जैसा ऊपर दर्शाया गया है, उसी प्रकार कार्यवाही की जावेगी।

18 सामग्री की सप्लाई संस्था में प्रातः 09–00 वजे से 09–15 वजे तक प्रदाय करनी होगी ।

19 ठेकेदार सामग्री प्रदाय करने का माहवारी विल अपने छपे हुए विल फार्म अर्थात फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन, लायसेंस नम्वर, सेल्स टैक्स नम्वर, मय विल नम्वर आदि दो प्रति में भुगतान हेतु माह समाप्त होने पर शीघ्र कार्यालय में जमा करें,सादे कागज पर प्रस्तुत किये गये या अन्यथा वनाये हुए देयक भुगतान हेतु मान्य नही होगा।

20 कर मुक्त प्रमाण पत्र जमा न करने की दशा में में ठेके की राशि पर (आय स्त्रोत पर) कर नियमानुसार काटा जावेगा ।

21 स्वीकृत निविदाओं की सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् ही स्वीकृत निविदाकार को प्रदाय आदेश प्रादान किया जावेगा।

22 सलंग्न सुरक्षा राशि रू.20,000.00 (रूपये वीस हजार मात्र) वैंक ड्राफ्ट सचिव होटल प्रवंध संस्थान
ग्वालियर के पक्ष में होना चाहिये ।

23 संस्था में सामग्री देर से (9.30 के वाद) प्रदाय की अवस्था में देयक से 1: काटा जावेगा।

24 निविदा आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। अभिलेख पूर्ण न होने की दिशा में निविदा मान्य नही होगी।

- फर्म नगर निगम में पंजीयन की प्रतिलिपि।
- टिन नम्वर की प्रतिलिपि।
- फर्म का पेन नम्वर की प्रतिलिपि।
- विगत तीन वर्ष के आय–व्यय का ब्यौरा की प्रतिलिपि। (2021–222, 2022–2023, 2023–24,)
- वर्तमान में फर्म सामग्री प्रदाय के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
- विगत तीन वर्ष में की गई सप्लाई की प्रतिलिपि। (2021–222, 2022–2023, 2023–24,)

प्राचार्य

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
AIRPORT ROAD
GWALIOR

निविदा श्रेणी अ सत्र 2024 (20.07.2024 से 30.06.2025) तक के लिये मांसाहारी इत्यादि सामग्री की निविदा के सम्बन्ध में।

क्र.	नाम वस्तु(स्पेषीफिकेषन)	मात्रा	छर प्रति किलो ग्राम अंकों में	दर प्रति किलोग्राम शब्दों में	रिमार्क
1	सबुत बकरा साफ किया हुआ चमड़ी उतार कर जिसमें पूंछ एवं अंडकोष, दिखाई दे, तथा बजन 9 किलो से अधिक न हो । कलेजी, आंत, चमड़ी, सिर, टांगें इत्यादि मान्य नहीं होंगी। (बिना चर्वि का)	प्रतिकिलो			
2	बकरे की रान पिछली टांगताजी साबुत (1.5–2.5) किलो के बीच के बजन की (बिना चर्वि का)				
3	मटन हड्डी साफ की हुई (बिना चर्वि का)				
4	मटन बोटी				
5	मटन कीमा (बिना चर्वि का)				
6	मटन लीवर बकरे का कलेजा				
7	साफ किया हुआ मुर्गा जिसमें कलेजी/पोटटा/ गर्दन निकाल दी गई हो । (650ग्रा. से 900ग्रा.)				
	चमड़ी के साथ 650 से 900 ग्राम				
	बिना चमड़ी के 01 से 1 किलो 500 ग्राम				
8	अण्डे मुर्गी के 60 ग्राम प्रति नग से कम न हो (साफ एवं ताजा)	**No.**			
9	मछली रेहू ताजी" 1– एक किलो वजन तक	प्रतिकिलो			
	2– एक से चार किलो वजन तक				
10	मछली सोल ताजीः 1– एक किलो वजन तक				
	2– एक से चार किलो वजन तक				
11	मछली पॉमफेट (सफेद): 1– आधा किलो वजन तक की मछली				
12	प्राउन (झींगा मछली): 1– एक किलो में 15–20 नग तक				

13	बेक्टी मछलीः 1– एक से तीन किलो वजन तक				
	2– तीन से सात किलो वजन तक				
13	बेक्टी सिंघाड़ाः 1– एक किलो वजन तक				
	2– एक से चार किलो वजन तक				
14	सौसेज़ (चिकन) फ्रोजन	प्रतिकिलो			
15	हैम (चिकन) फ्रोजन	प्रतिकिलो			

हस्ताक्षर निविदादाता के :...